

राजस्व आवेदन संख्या 311/2019 अनवान नवलकिशोर बनाम पूनमाराम

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा बेरिवाला तला पटवार क्षेत्र बेरिवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 908 रकबा 58.12 बीघा, खसरा संख्या 923 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 924 रकबा 49.09 बीघा व खसरा संख्या 925 रकबा 0.16 बीघा कुल रकबा 109.03 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बेरिवाला तला पटवार क्षेत्र बेरिवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 908 रकबा 58.12 बीघा, खसरा संख्या 923 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 924 रकबा 49.09 बीघा व खसरा संख्या 925 रकबा 0.16 बीघा कुल रकबा 109.03 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उप सचिव जजिकारी
बाडमेर

16/09/21